संख्या-02/2023/181/47-का-2-2023-36/1/76

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 जून, 2023

विषय:- समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2022-23 से वार्षिक प्रविष्टि (ACR) मानव सम्पदा पोर्टल यू0आर0एल0 ehrms.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने का निर्णय निम्नवत लिया गया है:-

(1) आलोच्य वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रविष्टियाँ Online लिखे जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रस्तावित Time line निम्नवत निर्धारित होगी:-

(I) Work flow दिनांक 30 जून तक जनरेट कर दिया जाए।

(II) स्वमूल्यांकन आख्या दिनांक 31 अगस्त तक उपलब्ध कराएंगे।

(III) प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी क्रमश: 31 अक्टूबर, 30 नवम्बर तथा 31 दिसंबर तक अपना-अपना मन्तव्य अंकित करेंगे।

(IV) वार्षिक प्रवृष्टियों का Disclosure दिनांक 31 दिसम्बर तक रहेगा।

(V) वार्षिक प्रवृष्टियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तिथि 15 फरवरी तक रहेगी।

(VI) वार्षिक प्रवृष्टियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन निस्तारित करने की तिथि 31 मार्च तक होगी ।

(2) संबंधित अधिकारियों के Signature हेतु e sign / Digital Signature तथा Mobile से OTP आधारित व्यवस्था अपनाई जायेगी

(3) 2022-23 के लिए प्रविष्टियों को Auto Forward किए जाने की व्यवस्था नहीं होगी, किन्तु **दिनांक** 31 दिसम्बर के बाद स्वमूल्यांकन आख्या तथा प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकन की व्यवस्था Closed हो जाएगी। वर्ष 2023-24 से प्रविष्टियों के अंकन में Auto Forward की व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगी।

(4) वर्ष 2022-23 की प्रविष्टियों के आनलाइन अंकन हेतु मानव सम्पदा पोर्टल दिनांक 01 जून, 2023 से Operational हो जाएगा अत: समस्त विभाग आवश्यक तैयारियां 01 जून, 2023 से पहले पूर्ण कराना सुनिश्चित कराये।

(5) पोर्टल पर प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी के सहायतार्थ पृथक-पृथक DROP DOWN MENU में DOs तथा DO NOT की व्यवस्था एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

(6) प्रविष्टियों के आनलाइन अंकन हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप अंग्रेजी के साथ-साथ एन0आई0सी0 द्वारा हिन्दी भाषा में भी उपलब्ध होगा।

(7) यदि किसी विभाग में समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की प्रविष्टि ऑनलाइन दाखिल किये जाने की व्यवस्था पूर्व से लागू है, तो उनकी उक्त व्यवस्था यथावत रहेगी।

2- यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा।

भवदीय,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-02(1)/2023/181/47-का-2-2023-36/1/76, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1-प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3-निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4-निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5-प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6-रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7-सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
9-सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10-निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11-वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
12-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
निर्मेष कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।